BSNLEU

# B S N L Employees Union

M.P. Circle, BHOPAL

(Regd. No. 4896 )

(The Only Recognised union in BSNL)

OFFICE:1195,Lal Kothi,Near Brij Sweets,Shahi Naka Road,Gulauatal,Garha,JABALPUR,(MP)

Phone:- 0761-2425789 Website:- www.bsnleump.org Mobile:- 94251 24499

Circle Secretary Email:srnayak68@yahoo.in Circle President

S.R.Nayak B.S.Raghuwanshi

क्रमांकः बीएसएनएलईयू एमपी/ दिनांक 23-01-2012

फ्लेश न्यूज

# फिक्स वेतन देना-मौलिक अधिकारों का हनन

## गुजरात उच्च न्यायालय

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने एक अहम फैसला दिया है कि कर्मचारियों को फिक्स वेतन देना मौलिक अधिकारों का हनन है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश माननीय भास्कर भट्टाचार्य और नयायाधीश माननीय जे.बी. पारदीवाला की खण्ड पीठ ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया है कि वह फिक्स वेतन देने की योजना में तुरन्त सुधार करे तथा जिन कर्मचारियों को फिक्स वेतन दिया जा रहा है उन्हें उनकी नियुक्ति की तारीख से छटवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम वेतनमान (केडर से संबंधित) दे तथा फिक्स वेतन की समयावधि को पेंशन आदि देने के लिए गणना में शामिल किया जावे। उल्लेखनीय है कि गुजरात में नरेन्द्र मोदी सरकार प्रायमरी स्कूल शिक्षक, मिडिल स्कूल शिक्षक, हायर सेकेण्डरी स्कूल शिक्षक, पुलिस कान्स्टेबिल, पुलिस सब-इन्स्पेक्टर सहित सभी ग्रुप ‘‘सी’’ एवं ग्रप ‘‘डी’’ कर्मचारियों को विगत अनेक सालों से रू.1500/- से लेकर रू.6000/- तक फिक्स वेतन दे रही थी। ऐसे कर्मचारियों की संख्या एक लाख से अधिक है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से गुजरात सरकार के एक लाख से अधिक कर्मचारियों का शोषण रूकेगा तथा उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। वर्तमान दौर का यह बहुत ही अहम फैसला है।

---



This document was created using Smart PDF Creator. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com